

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/34/2011-अ.भा.से.-1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 24 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गुजरात, जम्मू कश्मीर और झारखंड राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार एतद्वारा, सुश्री विप्रा भाल, आईएएस (जीजे.:2006) को गुजरात संवर्ग से झारखंड संवर्ग में, और श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, आईएएस (जेके:2008) को जम्मू कश्मीर से झारखंड संवर्ग अर्थात् तृतीय संवर्ग में, विवाह होने के आधार पर स्थानांतरण करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद,

हरियाणा।